Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में वृताधिकारी अलवर ग्रामीण एवं कानिस्टेबल ड्राईवर को 3 लाख रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज बुधवार को वृताधिकारी वृत्त अलवर ग्रामीण सपात खान, आर.पी.एस. एवं कानिस्टेबल ड्राईवर असलम खान को 3 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय की एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज विभिन्न प्रकरणों में गिरफ्तारी नहीं करने एवं नाम हटाने की एवज में असलम खान कानिस्टेबल ड्राईवर के जरिये सपात खान वृताधिकारी वृत्त अलवर ग्रामीण द्वारा **13 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर एस.आई.डब्ल्यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव नैन के नेतृत्व में** आज **श्री चित्रगुप्त महावर उप अधीक्षक पुलिस** व ए.सी.बी. टीम ने अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये असलम खान कानिस्टेबल ड्राईवर के जरिये परिवादी के पिता **से 3 लाख रूपये रिश्वत** की राशि लेते हुये **सपात खान वृताधिकारी वृत्त अलवर ग्रामीण एवं असलम खान कानिस्टेबल ड्राईवर** को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निकट पर्यवेक्षण में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

आरोपीगण